"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 फरवरी 2013—माघ 16, शक 1934

### विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2013

### आदेश

क्रमांक 994/389/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का सं. 66) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सहमति से, सारिणी के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य की सेवायें उच्च न्यायालय से प्रत्याहृत करते हुए उक्त न्यायाधीश को उक्त सारिणी के खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालय में न्यायाधीश पदस्थ करता है. उन्हें निर्देशित किया जाता है कि उक्त कुटुम्ब न्यायालय में पदभार ग्रहण करें.

| स. क्र. | न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान | न्यायालय का नाम |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | श्री के. विनोद कुजूर, चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग. | तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग. |

Raipur, the 2nd February 2013

ORDER

No. 994/389/XXI-B/C.G./2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, in concurrence with the High Court of Chhattisgarh withdrawing the services of the member of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the Schedule, from High Court, appoints him Judge of the Family Court specified in column No. (3) of the said schedule. He is directed to take over the charge in the said Family Court.

| S. No. | Name of Judicial Officer with Present place of posting | Name of the Court |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Shri K. Vinod Kujur, IV Additional District & Sessions Judge, Durg. | III Additional Principal Judge, Family Court, Durg. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. सामन्तराय**, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.